न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 10 / 2023

जीसीएमएस : 2023 / 353

1. असलमखां पुत्र श्री गनी मोहम्मद जाति मिरासी मुसलमान निवासी 5 के.एस.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
2. राहुल पुत्र श्री गनी मोहम्मद जाति मिरासी मुसलमान निवासी 5 के.एस.डी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. गनी मोहम्मद पुत्र श्री कमरदीन जाति मिरासी मुसलमान निवासी 5 के.एस.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. शायरा पुत्री यान कमरदीन जाति मिरासी निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. सरोज पुत्री यान कमरदीन जाति मिरासी निवासी धोलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. गीता देवी पत्नि श्री कमरदीन जाति मिरासी मुसलमान निवासी 5 के.एस.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. विनोदखान पुत्र श्री लालखान जाति मिरासी मुसलमान निवासी शनि मन्दिर के पास 4 एच.एच (महीयांवाली) तहसील व जिला श्री गंगानगर।
6. सरपंच ग्राम पंचायत मोहकमवाला पंचायत समिति रायसिंहनगर।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

रजू दिनांक 18.10.2023

उपस्थिति :–

1.श्री राजाराम पूनियां ,अधिवक्ता अपीलांट

2.श्री मदनसिंह चारण, अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ।

–: निर्णय :– दिनांक : 22.12.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि हम पक्षकारन मुसलमान है और हमारे पर मुस्लिम विधि लागू होती है। प्रस्तुत इन्तकाल नम्बर 236 हिन्दू विधि के अनुसार किया गया है। जो विधि विरूद्ध हैं। चक 5 के.एस.डी.ए के मुरब्बा नं 16 व 17 के 12.017 है0 में अपीलार्थीगण के दादा श्री कमरदीन पुत्र श्री बखतावर खां के नाम से 1.649 है0 हिस्सा खातेदारी भूमि थी उसके देहावसन के बाद उक्त भूमि 1.649 है0 खातेदारी भूमि का विरास्तत इन्तकाल हिन्दू विधि के अनुसार रेस्पोडेन्ट नं0 1 से 4 के नाम व हिस्सा बराबर बराबर इन्तकाल कर दिया जो विधि विरूद्ध है ऐसा इन्तकाल शुरू से ही शुन्य है। इन्तकाल की प्रमाणित प्रतिलिपी सलग्न अपील है। यह इन्तकाल ग्राम पंचायत मोहकमवाला के [illegible] तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने प्रस्ताव संख्या 1[illegible] दिनांक [illegible].2017 द्वारा उक्त भूमि का इन्तकाल तस्दीक किया है जो विधि विरूद्ध है [illegible] पक्षकारान मुसलमान है और मुस्लिम विधि से शासित होते है। अधिनस्थ [illegible] ने इन्तकाल पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर दिया व [illegible] में लेकर तस्दीक कर दिया जबकि वि[illegible] अनुसार कोई प्रकिया नहीं अपनाई है। इन्तकाल [illegible] देखने से ही स्पष्ट है कि[illegible] इन्तकाल पर यानि तस्दीक होने के पश्चात आई एल आर वृत मोहकमवाला यानि

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.01.02 12:25:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

गिरदावर द्वारा दिनांक 18.07.2017 को मिलान किया गया है। जबकि इन्तकाल मिलान होने के पश्चात ही तस्दीक होना चाहिये था। पक्षकारान मुस्लिम विधि से शासित होते है मुस्लिम विधि के अनुसार रेसपोडेन्ट संख्या 1 का आधा हिस्सा व रेसपोडेन्ट संख्या 2 से 4 तीनों का आधा हिस्सा में ब हिस्सा बराबर बराबर हक बनता है। इस तथ्य की जानकारी रेसपोडेन्ट संख्या 2 से 4 को शुरू से थी इसलिए उन्होने हमारे को नुकशान पहुंचाने की गर्ज से विवादित भूमि रेसपोडेन्ट संख्या 5 को जरिये बैयनामा बैय कर दी बैयनामा उप पंजीयक समेजा कोठी के कार्यालय से पंजीकृत हो चुका है। ऐसे बैयनामा से हमारे हितो पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पडता है क्योंकि प्रस्तुत इन्तकाल विधि विरूद्ध किया गया है। इन्तकाल तस्दीकी करने से पहले अधीनस्थ न्यायालय को यह देखना चाहये था कि कब्जा हम अपीलार्थीगण का आज भी है। इस प्रकार तमाम तथ्यों को देखते हुए यह साबित हो जाता हैं कि ग्राम पंचायत पंचायत मोहकमवाला द्वारा किया गया इन्तकाल संख्या 236 दिनांक 5.12.2017 विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विरूद्ध है। इसलिए निरस्त किया जावे। दिनांक 8.10.2023 को रेसपोडेन्ट संख्या 5 हमारे द्वारा कास्त की गई भूमि में हम नरमा चुग रहे थे तो आया और कहा कि यह भूमि मेरी मोल ली हुई है आप नरमा कैसे चुग रहे हो हमने कहा कि विवादित भूमि हमारी है हमारी भूमि को बेचने का अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को नहीं है इसलिए उनके द्वारा करवाया गया बैयनामा शुरू से शून्य है क्योंकि इन्तकाल विधि विरूद्ध है। इन्तकाल की जानकारी हमें अब दिनांक 8.10.2023 को हुई है इसकी प्रमाणित प्रतिलिपी लेकर बिना किसी देरी के हम अपील पेश कर रहे है। हमारे से हुई देरी के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश कर रहे है। विरास्तन इन्काल से विवादित भूमि हमारे पिता रेस्पोडेन्ट नं0 1 को आनी है हम रेस्पोडेन्ट नं0 1 के विधिक प्रतिनिधि है इसलिए हमारे को अपील पेश करने का अधिकार है दफा 96 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अधीनस्थ न्यायालय के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र श्रीमान के न्यायालय को है इसलिए अपील अपीलार्थीगण श्रीमान के न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है तथा पूर्ण कोर्ट फीस पर तहरीर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल किये जाने की जानकारी दिनांक 08.10.2023 को हुई है इसलिए अपील पूर्णतः अंदर मियाद हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया इन्तकाल सख्या 236 दिनांक 5.12.2017 को शून्य घोषित किया जावे।

2. अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत करने पर अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। ग्राम पंचायत से अपीलाधीन आदेश संबंधित रिकार्ड कार्यवाही विवरण रजिस्टर तलब किया गया। रेस्पोंडेंट सं. 5 की ओर से श्री मदन सिंह चारण अधिवक्ता उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट 6 की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत मोहकमवाला की ओर से रिकार्ड कार्यवाही रजि0 पेश किया। रेस्पोडेन्ट 5 ने जबाव प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों का विरोध प्रकट करते हुए अपने अतिरिक्त कथन में मुझ अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा प्रकरण में वर्णित भूमि 1.649 में से 1.265 है0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 से दिनांक 15.11.2018 को खरीद की गयी है तथा अप्रार्थीगण सं0 1 ता 4 द्वारा उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से खातेदारी दर्ज की हैसियत से अपने अधिकारों के तहत अपनी जायज जरूरीयात पूर्ति हेतू मुझ अप्रार्थी सं0 5 को विकय किया जाकर बैयनामा का निष्पादन कते हुए उसे सक्षम अधिकारी उप पंजीयक समेजा कोठी के सक्षम पेशकर तस्दीक वा पंजीबद्ध करवाया है तथा सक्षम अधिकारी उप पंजीयक द्वारा भी बाद जांच दस्तावेज सही पाया जाकर असे तस्दीक वा पंजीबद्ध किया [illegible] रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर भूमि का नामान्तकरण भी मुझ अप्रार्थी सं0 [illegible] हक में बाद जांच राजस्व अधिकारियों वा कर्मचारियों [illegible] दर्ज किया गया [illegible] में अप्रार्थी सं0 5 उक्त रकबा का खातेदार टिनेन्ट [illegible] दस्तावेज के आधार पर हुए इन्तकाल की कार्यवाही को [illegible] का अधिकार प्राप्त नहीं है। जहां तक विरास्तन इन्तकाल की कार्यवाही का प्रश्न है तो उस स्थिति में प्रार्थीगण के दादा कमरूदीन के वारिसाननामा के आधार पर ही विरास्तन इन्तकाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.01.02 12:25:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

की कार्यवाही वारिसान की जांच के बाद ही राजस्व रिकार्ड में हुई है तथा विरास्तन इन्तकाल सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत की आम सभा में मजमें आम में किया गया है इसलिए विरास्तन इन्तकाल बाबत समस्त प्रकिया विधि सम्मत तरीके से अपनायी गयी है, रायसिंहनगर उपखण्ड में हमारी जाति बिरादरी के लोगों के वारिस प्रमाण पत्र विभिन्न पंचायतों द्वारा प्रश्नगत विरास्तन इन्तकाल के अनुसार ही जारी होकर समस्त कार्यवाही होती आ रही है, अन्य जारी वारिस प्रमाण पत्र की चित्र प्रतियां भी संलग्न है। प्रार्थीगण की मियाद मियाद बाहर होने के कारण चलने लायक नहीं होने की वजह से प्रार्थना पत्र काबिल खारजी के है।

3. वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील अपीलांट अपनी बहस में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत मोहकमवाला का निरस्त करते हुए इन्तकाल सं. 236 दिनांक 05.12.2017 व आदेश ग्राम पंचायत मोहकमवाला का निरस्त करते हुए इन्तकाल सं. 236 दिनांक 5.12.2017 को अपास्त करने हेतु निवेदन किया हैं। । रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की तरफ से अधिवक्ता ने बहस में कथन किया है कि अपील अपीलार्थी का कब्जा नहीं है और अपील मियाद बाहर होने के बाद पेश की गई है अतः अपील अपीलार्थी मय खर्चा खारिज की जावे।

4. अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। **प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 द्वारा अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं0 5 विनोदखान पुत्र लालखान को दिनांक 20.11.2018 को विक्रय कर दी गई है। जिसका विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय रायसिंहनगर से तस्दीक शुदा है जिसका नामा0 दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो चुका है। नामा0 सं0 236 दिनांक 5.12.2017 में माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महो0 रायसिंहनगर के प्र0सं0 44/2017 निर्णय दिनांक 28.11.2017 की पालना में नामा0 स्वीकृत हुआ है जिसकी प्रति चस्वा है, का नोट अंकित है। ग्राम पंचायत मोहकमवाला की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा विरास्तन नामान्तरण दर्ज करते समय वादी असलम खान व राहुल तथा प्रतिवादी सं0 1 गनी मोहम्मद की पूर्ण जानकारी में लाकर व उनकी सहमति से ही प्रस्ताव सं0 1 दिनांक 5.12.2017 पारित किया जाकर नामा0 तस्दीक किया गया है साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा यह भी उल्लेख किया है कि हमारी ग्राम पंचायत में काफी मिरासी परिवार रहते है ये परिवार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार ही अपनी भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाते रहे है। वर्तमान में उक्त भूमि पर विनोदखान पुत्र लालखान मिरासी निवासी 4 एच.एच महियांवाली केता की हैसीयत से 1.265 है0 भूमि पर कब्जा काश्त है।**

—:निर्णय

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विरास्तन नामा0 दर्ज करते समय वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पूर्ण सहमति होने तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 4 द्वारा अपनी भूमि को प्रतिवादी सं0 5 को विक्रय कर दिये जाने के कारण व वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी सं0 5 का कब्जा कास्त होने के कारण अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.01.02 12:25:31 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

SCAN AnyScanner